



पूर्व मध्य रेल
समस्तीपुर मंडल
तृतीय पेंशन अदालत —20.09.2024
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि—10.09.2024



अधिसूचना

पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए समस्तीपुर मंडल में वर्ष, 2024 का "तृतीय पेंशन अदालत, 2024" का आयोजन दिनांक—20.09.2024 (शुक्रवार) को 16:00 बजे से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/समस्तीपुर में की जायेगी। शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवार का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप के अनुसार अंकित कर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर के EGRS CELL में डाक अथवा email-egrsspj@gmail.com(Only PDF Formate) के द्वारा दिनांक—10.09.2024 (मंगलवार) तक प्रेषित कर सकते हैं।

01. आवेदक का नाम :-
02. भू0पू0 कर्मचारी का नाम:-
03. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :-
04. भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध :-
05. वर्तमान पता :-
06. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि :-
07. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) :-
08. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान :-
09. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी :-
10. पेंशन भुगतान आदेश सं0 (P.P.O.No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) :-
11. बैंक खाता का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस. कोड एवं खाता संख्या अंकित हो :-
12. परिवार का विस्तृत विवरण (उपलब्ध साक्ष्य के साथ):-
13. WhatsApp न0—

आवेदक का हस्ताक्षर

पेंशन संबंधी परिवार, उपरोक्त प्रारूप में भर कर बंद लिफाफा में, जिसके उपर "तृतीय पेंशन अदालत, 2024" दिनांक—20.09.2024 लिखा हो। उपरोक्त संबंधित पते पर EGRS CELL में डाक अथवा email-egrsspj@gmail.com(Only PDF Formate) पर दिनांक—10.09.2024 तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन तथा वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढ़ोतरी आदि 'पेंशन अदालत' के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर कृपया ध्यान दें:-

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्प्यूटेशन (पेंशन सारांशिकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + सारांशिकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात् बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी।।।
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर
दिनांक—28.08.2024

संख्या: का/207/समापक भुगतान/पेंशन अदालत, 2023/XIII

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. निजी सचिव/मरेप्र— मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. गोपनीय सहायक/अमरेप्र— अमरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. गोपनीय सहायक/वमंकाधि — वमंकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
04. वमंविप्र/सम0।
05. वमंवाप्र/सम0— वे कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय समचार पत्रों में कराये जाने की व्यवस्था करें।
06. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ — वे कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. कार्याधी/ईजीआरएस सेल ।
08. मंडल मंत्री — ईसीआरकेयू अजा— अजजा/समस्तीपुर मंडल।
09. मंडल मंत्री — पेंशनर एशो0/समस्तीपुर मंडल
10. सूचना पट्ट।